बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 :– 03/भू0अ0नि0(4)आरोप(विविध)–09/2025 2008 पटना, दिनांक :– 16/07/2026

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, गया जी के पत्रांक 22 दिनांक 07.01.2025 द्वारा सुश्री मोनिका कुमारी, विशेष सर्वेक्षण लिपिक (SCL07326) के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि ये विगत 05 माह में मात्र 54 दिन ही उपस्थित हुई है एवं कार्यालय भी विलंब से आती है, जिसका प्रभाव अन्य कर्मियों पर भी पड़ता है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय पत्रांक 918 दिनांक 28.02.2025 द्वारा सुश्री मोनिका से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसका प्रतिउत्तर इनके द्वारा समर्पित किया गया है। प्राप्त प्रतिउत्तर पर निदेशालय पत्रांक 3759 दिनांक 26.06.2025 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी से अनुशंसा सहित स्पष्ट मंतव्य की मांग की गयी। इसी क्रम में बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 42 दिनांक 10.01.2026 द्वारा इनके आचरण में कोई सुधार नहीं होने का प्रतिवेदन देते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

इस संबंध में सुश्री मोनिका द्वारा पुनः एक आवेदन निदेशालय में समर्पित किया गया, जिसके साथ चिकित्सीय साक्ष्य संलग्न करते हुए पुनः कार्य पर रखने का अनुरोध किया गया है। इसी बीच निदेशालय द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी से मांग गये अनुशंसा सहित मंतव्य का प्रतिउत्तर पत्रांक 409 दिनांक 13.05.2026 द्वारा प्राप्त हुआ है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा मंतव्य में पुनः उल्लेख किया है कि इनका स्पष्टीकरण असंतोषप्रद है एवं मनगढ़ंत तथा झूठा है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि ये जनवरी, 2026 से प्रतिवेदित तिथि तक मात्र 02 दिन ही कार्यालय आयी है एवं इसके उपरांत अनाधिकृत अनुपस्थित हैं। फलस्वरूप संविदा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन/मंतव्य एवं अनुशंसा तथा सुश्री मोनिका से प्राप्त स्पष्टीकरण/समर्पित आवेदन का अवलोकन किया गया है। इनके द्वारा स्पष्टीकरण के साथ कोई ऐसा चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो इनके अनुपस्थित अवधि का समर्थन कर सके। साथ ही इनके द्वारा समर्पित आवेदन के साथ तीन तरह का स्वस्थता प्रमाण पत्र यथा दिनांक 27.11.2025, 06.12.2025 तथा 13.12.2025 का समर्पित किया गया है, कोई स्पष्ट चिकित्सीय साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है, जिससे यह प्रमाणित हो कि ये इतनी लम्बी अवधि तक चिकित्सार्थ रही हैं। साथ ही इनके द्वारा समर्पित अंतिम स्वस्थता प्रमाण पत्र दिनांक 13.12.2025 का है, परन्तु बंदोबस्त पदाधिकारी के प्रतिवेदनानुसार ये प्रतिवेदित तिथि अर्थात मई, 2026 तक मात्र 02 दिन ही उपस्थित हुई हैं। इनके द्वारा कोई स्पष्ट चिकित्सीय साक्ष्य संलग्न नहीं किया जाना बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा इनपर लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया प्रमाणित कर रहा है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के उद्देश्य से सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मी अवगत हैं, इसके बावजूद सुश्री मोनिका लम्बी अवधि से यदा–कदा ही कार्यालय आती हैं एवं इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं संलग्न साक्ष्य भी स्वीकारयोग्य नहीं है, इस परिपेक्ष्य में इनके कृत्य का प्रतिकूल प्रभाव अन्य कर्मियों पर न पड़े इसके दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना ही उचित होगा।

क्र०पृ०उ०

अतः बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित (संविदा) नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के नियम – 8(4) के तहत सुश्री मोनिका कुमारी, विशेष सर्वेक्षण लिपिक (SCL07326), बंदोबस्त कार्यालय, गया जी का संविदा नियोजन अनुपस्थिति की तिथि से समाप्त किया जाता है।

Subharsha 15/06/26

(सुहर्ष भगत)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(4)आरोप(विविध)–09/2025 2008 **पटना, दिनांक** : 16/06/2026

प्रतिलिपि :– सुश्री मोनिका कुमारी, विशेष सर्वेक्षण लिपिक (SCL07326), बंदोबस्त कार्यालय, गया जी को सूचनार्थ प्रेषित।

Subharsha 15/06/26.

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(4)आरोप(विविध)–09/2025 2008 **पटना, दिनांक** : 16/06/2026

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Subharsha 15/06/26

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(4)आरोप(विविध)–09/2025 2008 **पटना, दिनांक** : 16/06/2026

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Subharsha 15/06/26

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप